

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक 2(4)न्याय/12

जयपुर, दिनांक 07.03. 2013

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर ।

विषय :- नवसृजित विशिष्ट न्यायालय, महिला उत्पीडन प्रकरण, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर महानगर एवं उदयपुर हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत ।

संदर्भ :- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.02.2013 एवं आपका पत्रांक Gen/II/7/2013/245 दिनांक 13.02.2013.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दि० 14.02.13 द्वारा सृजित विशिष्ट न्यायालय, महिला उत्पीडन प्रकरण, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर महानगर एवं उदयपुर हेतु निम्नलिखित अस्थाई पद, पद भरे जाने क तिथि से दिनांक 28.02.2014 तक सृजित करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदया की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम पद	पे स्केल / पे बन्ड	ग्रेड पे	पदों की संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	51550-63070	-	5 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
2	सीनीयर पी.ए.	(9300-34800)	4200	5 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
3	सीनीयर रीडर	(9300-34800)	3200	5 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
4	वरिष्ठ लिपिक	(5200-20200)	2400	5 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
5	कनिष्ठ लिपिक	(5200-20200)	1900	10 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 2-2 पद)
6	च० श्रे० कर्मचारी	(4750-7440)	1300	20 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 4-4 पद)
	कुल			50 पद

उक्त न्यायालयों हेतु भवन निर्माण के अतिरिक्त अन्य व्यय मय नवीन आईटम्स बजट मद 2014-00-105 (01) डी.जे./ए.डी.जे.-[00] (गैर आयोजना) में उपलब्ध प्रावधान से वहन किये जायेंगे ।

न्यायालय भवन के निर्माण का वयय भार सरकार व राज्यसरकार द्वारा 75 : 25 से वहन किया जाता है । अतः निर्माण हेतु भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्से की राशि प्राप्त होने पर न्यायालय भवन के निर्माण हे भूमि की उपलब्धता तखमीना इत्यादि को ध्यान में रखते हुये राज्य हिस्से के लिए अतिरिक्त आयोजना सीमा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे ।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.
संख्या 101300674 दिनांक 01.03.2013 द्वारा प्राप्त सहमति
के अनुसरण में जारी की जाती है ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

सही/-

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर ।
2. सहायक नि० लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. वित्त (नियम-5 / वित्त (बजट) /आयोजना विभाग ।
4. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच ।
5. रक्षित पत्रावली

सही/-

उप शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : जी/आई/ए-4(i)(a)108/13/ ~~2207~~ दिनांक : 19/3/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित है :-

01. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर महानगर
एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
02. विशिष्ठ न्यायाधीश, महिला उत्पीडन प्रकरण अजमेर, भरतपुर, बीकानेर,
जोधपुर महानगर एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
03. लिपिक स्थापना (आरजेएस) को न्यायिक अधिकारियों के पद सृजन की
सूचना के संधारण एवं न्यायिक अधिकारियों के केडर स्ट्रेन्थ के संधारण
तथा इससे अन्य संबंधित कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. न्यायालय सृजन लिपिक को न्यायालय सृजन हेतु पदों के सृजन के इस
कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव से मिलान एवं न्यायालय सृजन के संदर्भ
में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
05. सहायक लेखाधिकारी (बजट) को वेतन तथा भत्तों तथा अन्य बजट
संबंधी कार्यवाही के के संदर्भ आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
06. प्र.अ.न्या. (भवन शाखा), राजस्थान उच्च न्यायालय को भवन संबंधी
कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
07. A.O.J.(Classification) (Website), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर /
पीठ जयपुर, जयपुर को Upload करने बाबत ।


रजिस्ट्रार (प्रशासन)